

30/1/26

पत्रावली मूल वाद के संलग्न पेशद्वी

चुके मूल वाद विद्वा में खारिज हो चुका है

अतः डा० पत्र धारा 212 RTA मदनलाल

VS खेताराम खारिज किया जाता है

डा० पत्र मूल वाद के संलग्न दाखिल

दफ्तर है)

✓